एआई के लिए नए नियम • कंपनियों को एआई कंटेंट पर लेबल लगाना होगा

अब सोशल मीडिया से 3 घंटे में हटाने होंगे डीपफेक जैसे पोस्ट

नई दिल्ली | केंद्र सरकार एआई-जनरेटेड और डीपफेक कंटेंट पर शिकंजा कसने जा रही है। इसके लिए सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम में कई अहम संशोधन अधिसूचित कर दिए हैं। इसके मुताबिक अदालत या सरकार के निर्देश पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक कंटेंट 3 घंटे में हटाना होगा। यह टाइमलाइन सामान्य केस में नहीं, बल्कि गंभीर और तात्कालिक जोखिम वाले मामलों में सख्ती से लागू रहेगी। इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एआई टूल्स से तैयार किसी भी कंटेंट पर स्पष्ट रूप से लेबल लगा हो। इसके अलावा, यूजर्स को भी यह घोषणा करनी होगी कि उनके द्वारा अपलोड किया गया कंटेंट एआई द्वारा बनाया या बदला गया है या नहीं। ऐसे वीडियो की जांच के लिए प्लेटफॉर्म्स को भी ऑटोमेटेड टूल्स देने होंगे। यदि प्लेटफॉर्म्स ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कानूनी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ सकता है।

20 से लागू होंगे नए नियमः आईटी के ये नियम 20 फरवरी से लागू होंगे। इससे 'सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन' (एसजीआई) भारत के डिजिटल गवर्नेंस ढांचे के दायरे में आ जाएगी। **शेष** | पेज 6

भास्कर एक्सप्लेनर

यूजर्स को बताना होगा- अपलोड टेक्स्ट, इमेज, वीडियो AI से बना है या नहीं

आईटी नियम संशोधन क्या हैं?
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 के तहत आईटी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 में संशोधन किया गया है। इनका उद्देश्य एआई-जनरेटेड, सिंथेटिक और मैनिपुलेटेड कंटेंट को नियमों के दायरे में लाना है।

ये किन पर लागू होंगे?
सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग एप्स, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, कंटेंट होस्टिंग वेबसाइट, एआई-आधारित कंटेंट प्लेटफॉर्म, कोई भी सेवा, जो यूजर-जनरेटेड कंटेंट को होस्ट, पब्लिश, ट्रांसमिट या एक्सेस देती है।

कौन-सी नई परिभाषाएं जोड़ी हैं?
ऐसा कंटेंट जो पूरी तरह या आंशिक रूप से एआई एल्गोरिदम या ऑटोमेटेड सिस्टम से बना हो। टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो या मिक्स्ड फॉर्मेट में हो। डीपफेक, बदले हुए विजुअल, वॉइस क्लोनिंग को शामिल करता हो, नए नियमों के दायरे में रहेगा।

सोशल मीडिया कंपनियों की क्या जिम्मेदारी रहेगी?
उन्हें गैरकानूनी कंटेंट को होस्ट या फैलने से रोकना होगा। ऑटोमेटेड टूल्स, एआई सिस्टम और ह्यूमन रिव्यू का उपयोग करना होगा। जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई न करना नॉन-कम्प्लायंस माना जाएगा। प्रतिबंधित कंटेंट की श्रेणियों में भारतीय कानूनों का उल्लंघन, राष्ट्रीय सुरक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा, अदालत या सरकार के आदेशों का उल्लंघन और यूजर की सुरक्षा, गरिमा से जुड़ा धोखा शामिल होगा।

सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्या है?
एक कानूनी सुरक्षा कवच है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (जैसे फेसबुक, एक्स/ट्विटर, इंस्टाग्राम) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद 'यूजर द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट' की जिम्मेदारी से बचाता है।

अब सोशल मीडिया से...

इसमें एआई जनरेटेड ऑडियो, वीडियो कंटेंट शामिल हैं, जो दिखने में असली लगते हैं और जिन्हें पहचानना मुश्किल होता है। यह कदम डीपफेक, धोखाधड़ी और गलत सूचनाओं के बढ़ते खतरों को देखते हुए उठाया गया है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जो प्लेटफॉर्म इन नियमों का पालन करेंगे और ऑटोमेटेड टूल्स के जरिए सिंथेटिक कंटेंट को हटाएंगे या प्रतिबंधित करेंगे, उनकी आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली सुरक्षा (सेफ हार्बर प्रोटेक्शन) बरकरार रहेगी।

भास्कर एक्सपर्ट : पवन दुग्गल, आईटी कानूनों के विशेषज्ञ